राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) सं.609/2022

जय सिंह पुत्र पेमाराम, आयु लगभग 48 वर्ष, बासकलियासर, पी.एस. मलसीसर, तह. मलसीसर, जिला. झुंझुनूं।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये पीपी
2. दिनेश कुमार स्वामी पुत्र सांवरमल निवासी ख्याली मलसीसर झुंझुनू राज.

----प्रत्यर्थीगण

से सम्बद्ध

एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) सं.7092/2021

1. बलवीर सिंह पुत्र श्री खुला राम, आयु लगभग 51 वर्ष, निवासी पन्द्रेऊ टिब्बा, तहसील तारानगर, जिला चूरू।
2. दिनेश कुमार पुत्र श्री सांवरमल, आयु लगभग 46 वर्ष, निवासी ग्राम ख्याली, थाना मलसीसर, जिला झुंझुनू।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये पीपी
2. थानाधिकारी, पुलिस थाना रतनगढ़, जिला चूरू।

----प्रत्यर्थीगण

.....

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए	:	श्री आर.के. चरण श्री विकास बिजारनिया
प्रत्यर्थी(ओं) के लिए	:	श्री विक्रम सिंह राजपुरोहित, डिप्टी जीए श्री रवींद्र सिंह, एजीए श्री सालेह मोहम्मद डिप्टी एसपी, आईओ, एसओजी जयपुर

.....

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् फरजंद अली

आदेश

आदेश आरक्षित तिथि ::: 07/02/2025

आदेश उच्चारित किए जाने की तिथि ::: 12/05/2025

इस न्यायालय द्वारा :-

1. ये दो विविध याचिकाएं याचिकाकर्ता जय सिंह और बलवीर सिंह द्वारा पुलिस स्टेशन रतनगढ़ जिला चूरू में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/18, 29 और 59 के अंतर्गत अपराध के लिए दर्ज एफआईआर सं.191/2020 को अभिखंडित करने की मांग करते हुए दायर की गई हैं।

2. यह कानून प्रवर्तन प्राधिकरण और निवारक दल के सदस्यों द्वारा विधिविरुद्ध क्रियाकलापों और शक्ति के प्रयोग का एक अनूठा मामला है। प्रथम सूचना रिपोर्ट पर एक नजर डालने मात्र से ही पुलिस कांस्टेबल द्वारा अफीम के अवैध प्रतिधारण का पता चलता है क्योंकि, रिपोर्ट के अनुसार, अभिकथित बरामदगी 21-06-2020 को की गई थी और

इसकी सूचना उनके स्वयं के पुलिस थाने में 25-06-2020 को दी गई थी। अत्यंत संदिग्ध परिस्थितियाँ प्रकट हो रही हैं और याचिकाकर्ता द्वारा निभाई गई भूमिका की गहनता से और सूक्ष्मता से अन्वेषण किए जाने की आवश्यकता है।

3. याचिकाकर्ता बलबीर सिंह वह व्यक्ति हैं जिन्होंने चार दिनों तक विनिषिद्ध वस्तु अपने पास रखने के बाद उसके सहित रिपोर्ट दर्ज कराई थी। याचिकाकर्ता जय सिंह उस टीम के सदस्य थे जिसने एक वाहन को बीच में रोका और उसके बाद विनिषिद्ध वस्तु को कब्जे में लिया गया। विनिषिद्ध वस्तु को सकब्जा रखना भी स्वयं में एक अपराध है, यदि उसे रखने के लिए न तो कोई लाइसेंस हो और न ही कानून के तहत उसे अपने पास रखने का कोई प्राधिकार हो। एक निष्पक्ष कार्य-व्यवहार मामले की उच्च अधिकारियों को अव्यवहित और त्वरित सूचना देने तथा पुलिस थाने को जानकारी प्रदान करने की माँग करता है।

4. अब तक की गई विभिन्न स्तरों के अन्वेषण से प्रथम दृष्टया अपराध में याचिकाकर्ताओं की संलिप्तता का स्पष्ट संकेत मिलता है। थानाधिकारी, पुलिस थाना रतनगढ़ और डिप्टी जी.ए. श्री विक्रम सिंह राजपुरोहित द्वारा प्रस्तुत दिनांक 04-02.2025 की रिपोर्ट के अनुसार, अफीम के विधिविरुद्ध कब्जे और दुरूपयोग के आरोप सिद्ध पाए गए हैं। याचिकाकर्ता बलबीर सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है और उसके विरुद्ध विचारण चल रहा है। याचिकाकर्ता जय सिंह की अंतर्वलितता स्पष्ट है

और रिपोर्ट में इसके बारे में बताया गया है, हालाँकि, वह जानबूझकर गिरफ्तारी से बच रहा है।

5. एफआईआर में एक संज्ञेय अपराध के होने का प्रकटन हुआ है एवं अन्वेषण से अग्रेत्तर कार्यवाहियों को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त सामग्री प्राप्त हुई है। इस न्यायालय से, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अंतर्गत अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, साक्ष्यों का निर्धारण या मूल्यांकन करने या विवादित तथ्यों की सावधानीपूर्वक जाँच करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। धारा 482 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग संयम से और केवल असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए जहाँ कार्यवाहियों का जारी रखा जाना विधि की आदेशिका का दुरुपयोग हो।

6. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री और प्रस्तुत दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के उपरांत, इस प्रक्रम पर एफआईआर को अभिखंडित करने का कोई मामला निर्मित्त नहीं होता।

7. तदनुसार, वर्तमान विविध याचिकाएं खारिज की जाती हैं। स्थगन याचिकाओं का निपटारा किया जाता है।

(फरजंद अली),जे

5-ममता/-

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य

प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी